अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 58/2023 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

1. हरपाल सिंह चौहान पुत्र श्री नत्थू सिंह जाति राजपूत निवासी प्लाट नम्बर 27, कैलाश नगर, गली नम्बर 18 झोटवाडा, जयपुर ।

अपीलार्थीगण

बनाम

1. रविन्द्र सिंह चौहान पुत्र हरपाल सिंह चौहान जाति राजपूत निवासी प्लाट नम्बर 27, कैलाश नगर, गली नम्बर 18 झोटवाडा, जयपुर ।
2. सीमा चौहान पत्नी श्री रविन्द्र सिह चौहान निवासी प्लाट नम्बर 27, कैलाश नगर, गली नम्बर 18 झोटवाडा, जयपुर ।

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्व आदेश दिनांक 26.09.2023 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण के प्रकरण संख्या 71/2023 ब उनवानी हरपाल सिंह बनाम रविन्द्र सिंह व अन्य

उपस्थितः–

1. अपीलार्थीगण मय प्रतिनिधि उपस्थित है।
2. प्रत्यर्थीगण मय प्रतिनिधि उपस्थित है।

निर्णय **दिनांक** 11.03.2024

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण के प्रकरण संख्या 71/2023 ब उनवानी हरपाल सिंह बनाम रविन्द्र सिंह व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 26.09.2023 से व्यथित हो कर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी मय प्रतिनिधि उपस्थित है। अधीनस्थ अधिकरण से मिसल मातहत तलब की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलार्थी की ओर से दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 अपीलार्थी का पुत्र व प्रत्यथी संख्या 2 अपीलार्थी की पुत्रवधु है जो कि अपीलार्थी के कहने में नहीं है। प्रत्यर्थी संख्या 1 आपराधिक प्रवृति के लोगों के साथ रहता है तथा अपीलार्थी व उसके छोटे बेटे सुधीर सिंह के साथ मारपीट, गाली गलौच व अभद्र व्यवहार करता रहता है। जिस कारण अपीलार्थी की जान को खतरा बना रहता है। प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थी को वृद्वावस्था में शारीरिक

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

व मानसिक यातनायें देने से पीड़ित होकर अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 5 (1) (क) (ख) के तहत परिवाद पेश कर अपीलार्थी के कय शुदा मकान से प्रत्यर्थी संख्या 01 व 02 को बेदखल करने तथा शान्तिपूर्वक रहने देने के लिए पाबन्द करने के लिए पेश किया था। जिसमें अधीनस्थ अधिकरण ने अपीलाधीन आदेश से सम्पत्ति का विवाद बताते हुये खारिज कर दिया । जबकि अपीलार्थी 80 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति है। नियम 2010 की धारा 20(5) के तहत अपीलार्थी की जान–माल व उसकी सम्पत्ति की सुरक्षा करना अधीनस्थ अधिकरण का कर्तव्य है। अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थी के कय शुदा मकान से प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को बेदखल करने के आदेश फरमावें ताकि अपीलार्थी वृद्धावस्था में सकून से रह सके।

प्रत्यर्थी 1 व 2 के प्रतिनिधि ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये कथन किया कि विवादित सम्पत्ति पर 1993–94 में एक हाल, कीचन, कमरा व बरामद बनवाया गया था। उक्त निर्माण में पुश्तैनी कृषि भूमि से हुई आय, अपीलार्थी श्री हरपाल सिंह की आय व प्रत्यर्थी संख्या एक की सम्पूर्ण आय से निमार्ण कार्य हुआ। प्रत्यर्थी की नौकरी फौज में 25 अप्रेल 1991 को लग गई थी। प्रत्यर्थी द्वारा 1991 से लेकर अब तक जो आय मुझे नोकरी से प्राप्त हुई वह सम्पूर्ण आय नगद स्वरूप मैंने अपने माता–पिता को समय समय पर देता रहता था। मकान के प्रथम मंजिल का निर्माण कार्य 1995 में शुरू हुआ और निर्माण कार्य वर्ष 2002–03 में पूर्ण हुआ। इस तरह प्रत्यर्थी संख्या 1 का पैसा प्लाट संख्या 27 ग्राउण्ड फ्लोर व प्रथम मंजिल में मकान निर्माण में खर्च हुई रशि का लगभग 40–50 प्रतिशत दिया है । उस समय अपीलार्थी की पेंशन कम थी, उससे घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल होता था ऐसे में बहनों की शादी व मकान निर्माण करना मुश्किल था। निर्माण कार्य प्रत्यर्थी संख्या 1 व पैतृक कृषि भूमि की आय से हुआ है। प्रत्यर्थी का परिवार पहले ग्राउण्ड फ्लोर में माता पिता व भाई के साथ रहा और जब प्रथम मंजिल का निर्माण हो गया उसके पश्चात परिवार सहित प्रथम मंजिल पर निवास करने लगा। इस तरह प्रत्यर्थी ने अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई प्लाट संख्या 27 के निर्माण कार्य में अपने परिवार के साथ शान्ति पूर्व निवास करने के लिए लगादी। प्रत्यर्थीगण द्वारा कभी भी अपीलार्थी के साथ गाली गलौच, मारपीट एवं अभद्र व्यवहार नहीं किया गया । प्रत्यर्थी 1 मई 2021 को फौज से रिटायर हो गया था उसके पश्चात प्रत्यर्थी 31 अक्टूबर 2021 तक सरकारी आवास में रहा । उसके पश्चात अप्रार्थी ने अपने बच्चों की स्कूल व इंस्टीट्यूट की सुविधा के अनुसार चित्रकूट वैशाली नगर जयपुर मे किराये से मकान लेकर निवास करने लगा। अपीलार्थी द्वारा ही किराये के मकान को छोड़ कर प्रथम मंजिल पर रहने के लिए कहा, जिसमें प्रत्यर्थी पहले भी रहता था। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपने पैतृक गावं अलवर स्थित मकान की रिपेयरिंग में 50,000/–का खर्चा दिया है। अपीलार्थी के हार्ट की प्रोबलम होने पर प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा ही हार्ट में स्टैण्ड डलवाया व सेवा सुश्रषा की, जिसमें प्रत्यर्थी ने अपने पुत्र होने का पूरा दायित्व निभाया है। प्रत्यर्थी की समस्त परिस्थितियो को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ अधिकरण ने उभय पक्ष को सुनने के पश्चात सम्पत्ति का विवाद मानते हुये अपीलाधीन आदेश से अपीलार्थी का परिवाद खारिज किया गया है जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया गया । पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया ।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

7. अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत कर अधीनस्थ अधिकरण के अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.09.2023 को निरस्त कर अपीलार्थी के स्वामित्व की सम्पत्ति मकान नम्बर 27, कैलाशनगर गली नम्बर 18 झोटवाडा जयपुर से प्रत्यर्थी 1 व 2 को बेदखल करने का अनुतोष चाहा है। विवादित सम्पत्ति अपीलार्थिया के स्वामित्व की है। माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक के जीवन एव उनके हितों की सुरक्षा करना का दायित्व अधिकरण का है। माता–पिता या वरिष्ठ नागरिक की सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम 2010 की धारा 20 (5) है जो इस प्रकार है–" किसी वरिष्ठ नागरिक के जीवन या सम्पत्ति के किसी खतरे की दशा में जिला मजिस्ट्रेट या सम्यकरूप से प्राधिकृत उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी का ऐसे वरिष्ठ नागरिक के जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा करने का कर्तव्य होगा। " अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के तहत माता–पिता या वरिष्ठ नागरिक की मांग पर पुत्र व पुत्रवधु को मकान से बेदखल करने का आदेश दिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में समय–समय पर माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी माता–पिता व वरिष्ठ नागरिक के पक्ष में निर्णय पारित किये गये है। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को उक्त सम्पत्ति से बेदखल किये जाने का आदेश दिया जाना उचित है। फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है।

अधीनस्थ अधिकरण के अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.09.2023 को अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी के स्वामित्व की सम्पत्ति मकान नम्बर मकान नम्बर 27, कैलाश नगर गली नम्बर 18 झोटवाडा जयपुर से प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को बेदखल करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को अपीलार्थी से गाली गलौच व मारपीट नहीं करने हेतु पाबन्द किया जाता है।

आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक **11.03.2024** को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner